

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन ( त्रुप-3) विभाग

क्रमांक—प. 5(1) साप्र/ 3/11

जयपुर, दिनांक 12-4-12

परिपत्रः—

भारत संचार निगम लिमिटेड के टेलीफोन/मोबाइल बिल डाक विभाग के माध्यम से सम्बन्धित उपग्रहों को प्राप्त होते हैं। यिसमें सम्बन्धित उपग्रहों को बिल वित्तन्य से गिरने की शिकायत रहती है। इस समस्या के समाधान हेतु कठिनय अधिकारीयण के टेलीफोन बिल सुनके कार्यक्रम विभाग की साईट पर उपलब्ध ई-मेल एड्रेस पर मंगवाने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु भारत संचार निगम लिमिटेड का यह सुझाव है कि व्यक्तिगत ई-मेल एड्रेस पर कार्यालय टेलीफोन के बिल मंगवाने से उनके रथानान्तरण होने पर समस्या यथावत बनी रहेगी।

अतः सम्बन्धित विभाग/कार्यालय अपने कार्यालय के ई-मेल एड्रेस पंजीकृत करवाकर भारत संचार निगम लिमिटेड, जयपुर वो भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि कार्यालय के ई-मेल एड्रेस पर लैण्डलाइन/मोबाइल के बिल भेजे जा सके।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत संचार निगम लिमिटेड, जयपुर की वेबसाईट [www.rajasthan.bsnl.co.in](http://www.rajasthan.bsnl.co.in) से मोबाइल टेलीफोन के बिल सीधे ही डाकनलोड किये जा सकते हैं तथा लैण्डलाइन टेलीफोन के बिल डाकनलोड करने हेतु संलग्न प्रक्रिया अनुसार पंजीकरण करवाकर लैण्डलाइन टेलीफोन के बिल भारत संचार निगम लिमिटेड, जयपुर की साईट से सीधे ही डाकनलोड किये जा सकते हैं।

अतः विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मा.मुख्यमंत्री/मा.मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण तथा निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप शासन सचिव एवं अन्य अधिकारीय से अनुरोध है कि कृपया अपने कार्यालय का ई-मेल एड्रेस सहायक महाप्रबन्धक, (ईडी), कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक, कमरा नं०-104, टैक्स बिलिंग, भारत संचार निगम लिमिटेड, एम.आई. रोड, जयपुर (फ़ोन-2360400) को निम्न प्रपत्र में रुचना भिजवाकर पंजीकृत करवा दिया जाय तथा प्रतिलिपि इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें ताकि बिल समयावधि में प्राप्त हो सके :—

क्रमांक	टेलीफोन नम्बर/ मोबाइल नम्बर	टेलीफोन/मोबाइल कलाप आई/आपा चैम्प	सम्बन्धित ई-मेल एड्रेस
(1)	(2)	(3)	(4)
1. (o) 0141-			
2. (R) 0141-			
3. (M)			

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निमानित को सूचनार्थ पूर्ण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सचिव, नाम सुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, ना० मंत्रीगण/ना० राज्यमंत्रीगण/ना० संसदीय सचिवगण।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
4. शासन सचिवालय में पदस्थापित शासन उप सचिवगण/अन्य अधिकारीय।
5. श्री ए.के.जौन, एजीएम (ईडी), कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक, कमरा नं०-104, टैक्स बिलिंग, भारत संचार निगम लिमिटेड, एम.आई. रोड, जयपुर (फ़ोन-2360400)
6. रवित पवारली।

उप शासन सचिव

भारत संचार निगम लिमिटेड, (BSNL) जयपुर की वेबसाइट से

ऑनलाईन बुक्सीकेट बिल प्राप्त करने की प्रक्रिया

- ❖ सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि उपभोक्ता के पास ई—मेल एड्रेस है।
- ❖ यदि ई—मेल एड्रेस नहीं है तो ई—मेल रजिस्ट्रेशन करावे।
- ❖ तत्पश्चात् [www.rajasthan.bsnl.co.in](http://www.rajasthan.bsnl.co.in) की साइट खोलें।
- ❖ उपरोक्त साइट खोलने पर web customer services (CDR Based) के विकल्प पर क्लिक करें।
- ❖ तदुपरान्त USER LOGIN का विकल्प प्रदर्शित होगा जिसमें Existing BSNL Customer "Click here" विकल्प को चुनकर करें।
- ❖ रजिस्ट्रेशन फार्म प्रदर्शित होने पर उसको पूर्ण रूप से भरें।
- ❖ फार्म भरने के पश्चात् कुछ दिन के तपान्त BSNL द्वारा उपभोक्ता को पासवर्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। जिसकी जानकारी आपके ई—मेल पर होगी।
- ❖ तदुपरान्त उपभोक्ता उपलब्ध करवाये गये पासवर्ड अथवा अपनी इच्छानुसार अन्य पासवर्ड से बुक्सीकेट टेलीफोन बिल का प्रिन्ट ले सकता है।